कार्यालय : जिला कार्यक्रम अधिकारी, (आई0सी0डी0एस0) मेरठ।

पत्र संख्या / /जि0का0अधि0/बा0वि0परि0/विज्ञप्ति/2026-27/ दिनांक : 25-06-26

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-1/1092245/2025/3313/ 58-1-2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद मेरठ के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेब साइट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	शहरी / ग्रामीण	ग्रामीण एवं शहर क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के रिक्त पदों की स्थिति
1	2	3	4
1	शहर	शहरी	56
2	ग्रामीण मेरठ	ग्रामीण	06
3	रजपुरा	ग्रामीण	11
4	जानी	ग्रामीण	05
5	रोहटा	ग्रामीण	07
6	खरखौदा	ग्रामीण	09
7	मवाना	ग्रामीण	08
8	हस्तिनापुर	ग्रामीण शहरी (हस्तिनापुर नगर पंचायत)	16 01 (वार्ड नं0-15)
9	परीक्षितगढ़	ग्रामीण	05
10	माछरा	ग्रामीण शहर (शाहजहाँपुर नगर पंचायत)	10 02 (वार्ड नं0-6, 7)
11	सरधना	ग्रामीण	14
12	दौराला	ग्रामीण शहरी (दौराला नगर पंचायत)	18 04 वार्ड नं0 6 - 01 पद वार्ड नं0 7 - 01 पद, वार्ड नं0 8 - 01 पद वार्ड नं0 9 - 01 पद
13	सरूरपुर	ग्रामीण शहर (हर्रा नगर पंचायत)	06 02 वार्ड नं0 6 - 01 पद वार्ड नं0 15 - 01 पद
		योग:-	180

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील एवं विकास खण्ड इत्यादि कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी, साथ ही विभागीय वेबसाईट http://upanganwadibharti.in पर अपलोड होगी।

<u>विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश :-</u>

1- विज्ञप्ति पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।

2- रिक्त पदों (आंगनबाड़ी कार्यकत्री) हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।

3- आवेदिका को रिक्त पदों के ग्रामसभा/वार्ड (शहरी) का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। अन्य ग्राम सभा/वार्ड के आवेदन मान्य नहीं होंगे।

4- आवेदिका की आयु निर्धारित तिथि 01-01-2026 (कट आफॅ डेट) को न्यूनतम 18 वर्ष एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

AnyScanner

5– आयु के सम्बन्ध में हाईस्कूल अंक तालिका/प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।

6– विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर ऑनलाईन आवेदन फार्म निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार्य किये जायेंगे। ऑफलाईन/डाक से प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

7– विज्ञप्ति में प्रकाशित पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन दिनांक 27 जून, 2026 से 17 जुलाई, 2026 के मध्य रात्रि 12:00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगे।

8– विज्ञप्ति में प्रकाशित रिक्त पदों की संख्या विशेष परिस्थितियों में घट सकती है।

9– उपरोक्त विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना विभागीय वेबसाइट http://upanganwadibharti.in पर उपलब्ध है, साथ ही अधिक जानकारी हेतु संबंधित विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय से कार्यालय दिवस में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

10–यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाये जायेंगे तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगी। त्रुटि सुधार हेतु ऑफलाईन आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

11–आवेदन पत्र में उल्लिखित शैक्षिक अभिलेख एवं अन्य प्रमाण पत्रों की पठनीय एवं स्व हस्ताक्षरित प्रति अपलोड किया जाए।

12–आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग–9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3959/1–9–11–राज0–9 दिनांक 30–09–2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। इस सम्बन्ध में भविष्य में यदि राजस्व विभाग द्वारा कोई पृथक से शासनादेश निर्गत किया जाता है तो नवीन शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। गरीबी रेखा की आय सीमा का पुनर्निधारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–22/2015/2123/26–2–2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015 (यथा संशोधित) द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा ।

13–जाति व निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। जिनका ऑनलाइन सत्यापन किया जा सके।

14–चयन प्रक्रिया शासनादेश संख्या–1/1092245/2025/3313/ 58–1–2025 (1917687) दिनांक 17 सितम्बर, 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

15–चयन प्रक्रिया जनपद में गठित चयन समिति के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होगा।

(सुरेश कुमार गुप्ता)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
मेरठ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या C-359 **तद्दिनांक**

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।

2–जिलाधिकारी, मेरठ।

3–मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।

4–समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय, सम्बन्धित तहसील एवं सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें।

5–विज्ञापन व्यवस्थापक, हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को स्थानीय स्तर पर सरकारी दर पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

6–कार्यालय प्रति

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
मेरठ।

AnyScanner